



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना दोघट

दिनांक-30.07.2025

थाना दोघट पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 198/2025 धारा 103(1)/238(सी) बीएनएस से सम्बन्धित हत्यारोपी 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनकी निशांदेही पर घटना में प्रयुक्त 01 फावड़ा(आलाकत्ल), मृतका की कमीज व अन्य सामान ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 30.07.2025 को थाना दोघट पर वादी श्री गौरव पुत्र उदयवीर निवासी ग्राम पुसार थाना दोघट जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त सूरज पुत्र प्रेमचन्द निवासी ग्राम पुसार थाना दोघट



जनपद बागपत द्वारा वादी की नानी की फावड़े से गला काटकर हत्या कर दी है व अभियुक्त के पिता प्रेमचन्द द्वारा साक्ष्य मिटाये/छिपाये गये हैं। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 198/2025 धारा 103(1)/238(सी) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा थाने पर मु0अ0सं0 198/2025

धारा 103(1)/238(सी) बीएनएस से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी निशांदाही पर घटना में प्रयुक्त 01 फावड़ा(आलाकत्ल), मृतका की कमीज व अन्य सामान बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना दोघट पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1.सूरज पुत्र प्रेमचन्द निवासी ग्राम पुसार थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 2.प्रेमचन्द पुत्र उमराव निवासी ग्राम पुसार थाना दोघट जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण

- 01 फावड़ा(आलाकत्ल)
- मृतका की कमीज व अन्य सामान।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-प्रभारी निरीक्षक श्री बच्चू सिंह थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0 ब्रजेश पौनिया थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 3-उ0नि0 रजत ढाका थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 4-उ0नि0 सौम्य कृष्णात्रेय थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 5-है0का0 407 सन्दीप कुमार थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 6-है0का0 144 विनय कुमार थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 7-का0 160 अंकुल कुमार थाना दोघट जनपद बागपत ।



प्रेस नोटजनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक-30.07.2025

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 468/25 धारा 103(1)/238(ए) बीएनएस से सम्बन्धित हत्यारोपी 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 मो0सा0 हीरो स्प्लैण्डर नं0 UP-17-AA-5076 तथा अभियुक्तों की निशांदाही पर मृतक घटना में प्रयुक्त 01 डण्डा (आलाकटल), मृतक के कपड़े व आधार कार्ड बरामद।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 29.07.2025 को थाना बडौत पर वादी श्री सुक्रमपाल पुत्र शिवचरण निवासी ग्राम लौहड्डा थाना बडौत जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1.अनिकेत उर्फ टन्ना पुत्र राजपाल 2. रोहित उर्फ भन्नू पुत्र सुक्रमपाल निवासीगण ग्राम लौहड्डा थाना बडौत के द्वारा उसके भाई रविन्द्र उर्फ बल्लू की हत्या कर शव को साक्ष्य छिपाने की नियति से गन्ने के खेत में फेंक दिया है । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 468/25 धारा



103(1)/238ए बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बड़ौत पुलिस द्वारा थाने के मु०अ०सं० 468/25 धारा 103(1)/238ए बीएनएस से सम्बन्धित 02 हत्यारोपी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 मो०सा० हीरो स्प्लैण्डर नं० UP-17-AA-5076 तथा अभियुक्तों की निशांदाही पर मृतक घटना में प्रयुक्त 01 डण्डा (आलाकत्ल), मृतक के कपड़े व आधार कार्ड बरामद हुए हैं।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बड़ौत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-अनिकेत उर्फ टन्ना पुत्र राजपाल निवासी ग्राम लौहड्डा थाना बड़ौत जनपद बागपत।

2 रोहित उर्फ भन्नू पुत्र सुक्रमपाल निवासी ग्राम लौहड्डा थाना बड़ौत जनपद बागपत

पूछताछ विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि दिनांक 28.07.25 की शाम को मैं तथा रोहित मो०सा० नं० UP-17 AA-5076 से रविन्द्र उर्फ बल्लू के घर गये और मृतक रविन्द्र को साथ लेकर ग्रीन फील्ड स्कूल के सामने अक्षय की डेरी के पीछे ले गये वहीं पर हम तीनों बैठकर शराब पीने लगे शराब पीने के दौरान मृतक रविन्द्र उर्फ बल्लू हम दोनों को गाली देने लगा। हमने उसे समझाया लेकिन वह नहीं माना तब रोहित ने मुझसे कहा था कि इसे मार देते हैं तब मैंने वहीं पर पड़े बास के डण्डे से मृतक रविन्द्र को पीटने लगा। रोहित ने मृतक रविन्द्र के हाथ पकड़ लिये तथा पीटते-पीटते उसकी हत्या कर दी एवं मृतक के शव को साक्ष्य छिपाने की नियत से मोटरसाइकिल पर रख कर शमशान घाट के सामने अपने गाँव के कदम के गन्ने के खेत में सड़क किनारे डाल दिया।

बरामदगी का विवरण-

- 01 डण्डा (आलाकत्ल) ।
- मो०सा० हीरो स्प्लैण्डर नं० UP-17-AA-5076
- मृतक के कपड़े व आधार कार्ड ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम---

- 1-प्र०नि० मनोज कुमार चहल थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2- उ०नि० श्री सुरेश कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 3-उ०नि० श्री रामकुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 4-है०का० 554 सतेन्द्र थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 5-है०का० 738 अरुण कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 6-है०का० 682 दीपक कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 7-का० 919 गजेन्द्र सिंह थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 8-का० 893 राहुल शर्मा थाना बडौत जनपद बागपत ।





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक-30.07.2025

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 473/25 धारा
352/351/333/115(2)/109/3(5) बीएनएस से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को
किया गिरफ्तार, जिनकी निशांदेही पर घटना में प्रयुक्त 01 डण्डा बरामद।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 30.07.2025 को थाना बडौत पर वादिया ने लिखित प्रार्थना पत्र दिया कि अभियुक्तों 1.आबिद 2.जावेद, 3.खालिद पुत्रगण युनुस 4.युनुस पुत्र नामालूम निवासीगण बडका रोड करबा व थाना बडौत जनपद बागपत द्वारा वादिया के साथ मुकदमे में गवाही देने पर गाली-गलौच की तथा जान से मारने की धमकी दी, जिसका उसके पति द्वारा विरोध किया तो उसके व उसके पति के साथ घर में घुसकर मारपीट की तथा जान से मारने की नियत धारदार हथियार से वार कर दिया, जिससे उसका पति का गंभीर रूप से घायल हो गया। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 473/25 धारा 352/351/333/115(2)/109/3(5) बीएनएस पंजीकृत किया गया।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 473/25 धारा 352/351/333/115(2)/109/3(5) बीएनएस से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके निशांदादेही पर घटना में प्रयुक्त 01 डण्डा बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. युनुस पुत्र हमीद निवासी बडका रोड कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत।
2. जावेद पुत्र युनुस निवासी बडका रोड कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण---

- 01 डण्डा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम---

- 1- उ0नि0 श्री आशीष कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2- है0का0 65 महीपाल सिंह थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 3- है0का0 754 मंजीत कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 4- है0का0 769 सतेन्द्र थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 5- का0 1058 शरद यादव थाना बडौत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत दिनांक 30.07.2025

बागपत पुलिस ने 07 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत बागपत पुलिस द्वारा 07 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार वारण्टी

अभियुक्तों का नाम व पता-

1-आन्नद पुत्र ओमकार

निवासी ग्राम बरसिया थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

2-नोज पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम रामनगर थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

3.नीरज पुत्र भीम सिंह निवासी बरनावा थाना बिनौली जनपद बागपत ।

4-जोगेन्द्र उर्फ जोगी पुत्र रिसाल निवासी खपराना थाना बिनौली जनपद बागपत ।

5-इन्तजार पुत्र इमामूदीन निवासी ग्राम बिजरौल थाना बड़ौत जनपद बागपत।



6-इन्द्रपाल शर्मा पुत्र गंगाशरण शर्मा निवासी ग्राम अमीपुर बालैनी थाना बालैनी जनपद बागपत ।

7-सचिन शर्मा पुत्र इन्द्रपाल शर्मा निवासी ग्राम अमीपुर बालैनी थाना बालैनी जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-थाना सिंघावली अहीर पुलिस टीम । (02 वारंटी)

2-थाना बिनौली पुलिस टीम । (02 वारंटी)

3-थाना बड़ौत पुलिस टीम ।(01)

4-थाना बालैनी पुलिस टीम ।(02)

